

जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं० - 16 दिनांक - 05.06.2022

अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर करीब 41.400 कि०ग्रा अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1200000/- रू०) एवं 01 अदद सफारी गाडी के साथ गिरफ्तार ।

दिनांक 05.06.2022 को थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर को 41.400 कि०ग्रा० अवैध गांजा एवं 01 अदद सफारी गाडी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र रामखिलावन नि० ग्राम कन्धीया थाना असोथर जनपद फतेहपुर

वान्छित अभियुक्त का विवरण:-

1. सचिन शिवहरे पुत्र नरोत्तम शिवहरे नि० फुलवामऊ थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।
2. सोनू मोर्य पुत्र स्व० शंकर उर्फ नमकीन मोर्य नि० ग्राम फुलवामऊ थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 41.400 कि०ग्रा० अवैध गांजा
2. 01 अदद सफारी गाडी नं० UP-71 AB-0018 (सीज 207 MV ACT)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को चेकिंग के दौरान दिनांक 05.06.2022 को समय 02.45 बजे थाना आटा क्षेत्र के पिपराँया तिराहा से 10 कदम आगे इटौरा जाने वाली रोड की तरफ वृहद ग्राम पिपराँया से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री रवि कुमार द्वारा अवैध शस्त्र तस्कर एवं अवैध शराब, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में थाना आटा टीम को लगाया गया था ।

थाना आटा पुलिस टीम द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, तलाश वान्छित, अवैध शस्त्र तस्करों, वाहन चोर/ नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की पतारशी सुरागरशी, वाहन चेकिंग, रात्रि गस्त के दौरान दि० 05.06.2022 समय 02.45 बजे पिपराँया तिराहे से 10 कदम आगे इटौरा जाने वाली सड़क पर एक टाटा सफारी गाडी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी, जैसे ही हाथों में लिये टार्च की रोशनी उनके ऊपर डालते हुये, रोका व टोका गया तो गाडी से उतर कर तीन व्यक्ति इटौरा गांव की तरफ भागे शक अपराधी होने पर भाग रहे व्यक्तियों का पीछा कर पुलिस बल की मदद से एक व्यक्ति को पकड़ लिया ।

जिसके सम्बन्ध में थाना आटा पर मु०अ०सं० 54/22 धारा 8/20 NDPS Act बनाम प्रदीप कुमार उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त ने पुछताछ में बताया कि भागे हुये व्यक्ति मेरे साथी हैं हम लोग साथ मिलकर अवैध गांजे का व्यापार करते है, हम लोग यह गाँजा बाहरी प्रान्त से लाकर जालौन एवं आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं ।

फरार अभियुक्त सचिन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०स० 484/2017 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मलंवा जनपद फतेहपुर ।
- 2- मु०अ०स० 177/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

फरार अभियुक्त सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०स० 334/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ललौली जनपद फतेहपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों एवं अन्य प्रान्तों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण: -

1. प्र०नि० श्री नरेन्द्र प्रताप गौतम थाना आटा
2. उ०नि० श्री गौरव कुमार मिश्रा थाना आटा
3. उ०नि० श्री सत्यपाल सिंह थाना आटा
4. उ०नि० श्री शिवनारायण
5. का० 574 अंकुर कुमार थाना आटा
6. का० 570 प्रशान्त द्विवेदी थाना आटा
7. का० 579 अंकित कुमार थाना आटा
8. आरक्षी चालक इन्द्रेश कुमार ।